

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

सीनियर अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर.एस.

प्रकरण सं० : 75/2022

अन्ततः

सतवीर सिंह पुत्र ओमप्रकाश जाति छीपा (छीपी) निवासी डावडी तह भादरा।

व नाम

1. ओमप्रकाश पुत्र शिवलाल जाति छीपा (छीपी) निवासी डावडी तह भादरा।
2. चरण सिंह पुत्र ओमप्रकाश जाति छीपा (छीपी) नि० डावडी तह भादरा।
3. रामकिशन पुत्र ओमप्रकाश जाति छीपा (छीपी) नि० डावडी तह भादरा।
4. विनोद कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति छीपा (छीपी) नि० डावडी तह भादरा।
5. शीला पुत्री ओमप्रकाश पत्नी रामनिवास जाति छीपा (छीपी) नि० डावडी तह भादरा हाल निवासी भूना तह जिला फतेहाबाद (हरि०)।
6. कृष्णा कुमारी पुत्री ओमप्रकाश पत्नी विनोद कुमार जाति छीपा (छीपी) नि० डावडी तह भादरा हाल नि० सदलपुर व जिला हिसार (हरि०)
7. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा डावडी जरिये शाखा प्रबंधक डावडी।

:-प्रतिवादीगण

आज यह वाद गुज शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री पूनमचंद वर्मा एवं वकील प्रतिवादीगण श्री अक्षय कुमार की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही गौजा डावडी खाता सं० 26/28 के खसरा सं० 357 की 3.8950 है० वारानी, खसरा सं० 364 की 1.3910 है० वारानी, खसरा सं० 380 की 4.6290 है० वारानी कुल खसरे 3 की 9.9150 है० वारानी कृषि भूमि वादी के प्रतिवादी सं० 1 ओमप्रकाश के नाम खातेदारी दर्ज में से प्रतिवादी सं० 1 ओमप्रकाश अकेले के बजाय वादी सतवीर सिंह एवं प्रतिवादी सं० 02 चरणसिंह, प्रतिवादी सं० 3 रामकिशन, प्रतिवादी सं० 4 विनोद कुमार का 6/7 हिस्सा बहिस्सा कराव व प्रतिवादी सं० 1 ओमप्रकाश का 1/7 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। प्रतिवादी सं० 5 व 6 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं० 2 ता 4 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जाये। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक ...०६.०६.२२... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(Handwritten Signature)

(शकुन्तला चौधरी)

R.A.S.

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़